

छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन,
नवा रायपुर, अटल नगर.
// संशोधन आदेश //

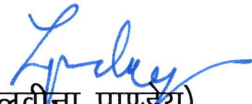
नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 30 / 06 / 2025

क्रमांक: **ESTB-102/502/2025/MED/55::** विभागीय आदेश क्रं. **ESTB-102/453/2025(2)**
दिनांक 26.06.2025 द्वारा चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी नर्सिंग संवर्ग कर्मचारियों
का स्थानान्तरण नीति-2025 के तहत जारी स्थानान्तरण आदेश में निम्नानुसार संशोधन किया
जाता है:-

स. क्रं.	विभागीय आदेश क्रं. व दिनांक	आदेश का सरल क्रं.	अधिकारी/चिकित्सक का नाम/पदनाम	संशोधन
1	2	3	4	5
01	ESTB- 102/453/2025(2) , 26/06/2025	18	श्रीमती सरोज साहू, नर्सिंग सिस्टर	स्थानान्तरण आदेश को निरस्त करते हुए यथावत् डी.के.एस.पी.जी.आई., रायपुर में पदस्थ किया जाता है।

2/ शेष शर्तें यथावत् रहेगा।

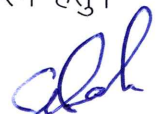
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(लवीना पाण्डेय)

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

पृष्ठां. क्रं. **ESTB-102/502/2025/MED/55::** नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक: 30 / 06 / 2025
प्रतिलिपि:-

- 1- निज सचिव, मान. मंत्रीजी, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.।
- 2- महालेखाकार, छत्तीसगढ़
- 3- आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, नवा रायपुर, अटल नगर, छ.ग.,
- 4- संबंधित जिला कलेक्टर, छ.ग.,
- 5- संबंधित अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छ.ग.
- 6- संबंधित प्राचार्य, शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय, छ.ग.,
- 7- संबंधित संयुक्त संचालक सह अस्पताल अधीक्षक संबद्ध चिकित्सालय, (छ.ग.),
- 8- संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, छ.ग.,
- 9- संबंधित चिकित्सक/अधिकारी.....
- 10- प्रभारी निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.), महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर की ओर उपरोक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 11- आदेश फोल्डर।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग